छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय
नया रायपुर

17 NOV 2014

कमांक–एफ–6–146/सात–1/2014 रायपुर, दिनांक नवम्बर, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः पटवारियों से बस्ता जमा कराये जाने के पश्चात् सुचारू व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश ।

संदर्भः मुख्य सचिव, छ.ग.शासन का समसंख्यक अर्धशासकीय पत्र कमांक एफ–6–146/सात–1/2014 दिनांक 17.10.2014

–0–

संदर्भित पत्र के परिपालन में प्रदेश के सभी जिलों के द्वारा पटवारियों द्वारा संधारित हस्तलिखित भू–अभिलेख खसरा पांचसाला, बी–1 तथा नक्शा जमा करा लिया गया है । इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 5.11.2014 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा अनुसार निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है :–

(1) पटवारियों द्वारा अनेक ऐसे कार्य संपादित किया जाता है यथा गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, शासकीय भूमि का अतिक्रमण रिपोर्ट, प्राकृतिक आपदा से फसल हानि, भू–राजस्व तथा उपकर वसूली, नामंतरण तथा बटवारा, अवैध वृक्ष कटाई प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन प्रकरण, विकास कार्यो के लिये शासकीय भूमि की जानकारी देना, कृषि संगणना, पशु संगणना, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये भूमिहीन, लघु सीमांत कृषक का सत्यापन, धान खरीदी के लिये कृषकों की सूची का सत्यापन आदि– जिसके लिये उपरोक्त अभिलेखों की एक प्रति उनके पास रहना आवश्यक है । अतः निर्देशानुसार पटवारियों को अपना चालू कार्य संपादित करने के उददेश्य से खसरा एव बी–1 का प्रिंट आउट कम्प्यूटर से निकालकर दिया जावे । उक्त कार्य में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिले में उपलब्ध आकस्मिकता निधि की राशि, लेखन सामग्री, एन.एल.आर.एम.पी, आई.ए.पी. अथवा अन्य मद में उपलब्ध राशि से किया जा सकता है । इस संबंध में आवश्यक राशि का मांगपत्र संचालक/आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग.रायपुर को भी फेक्स नंबर 0771–223479 में तत्काल भिजवाने का कष्ट करें ।

(2) कम्प्यूटर से ग्रामों के नक्शों को प्रिन्ट करने के लिये प्लॉटर की भी आवश्यकता होगी । इस हेतु भी आवश्यक बजट व मांगपत्र की जानकारी संचालक/आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर को पृथक से प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(3) भू–अभिलेख एक अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है । मूल अभिलेख/मूल नक्शा आदि अपने जिले के वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी के नामजद अभिरक्षा में रखा जावे तथा कम्प्यूटरों के पासवर्ड की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जावे जिससे भू–अभिलेखों में किसी प्रकार की छेड़खानी संभव न हो ।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना समय की मांग है । छ.ग. राज्य के साथ देश के अन्य राज्यों में भी इसका उपयोग सुनिश्चित कर लिया गया है । ऐसी स्थिति में कम्प्यूट्रीकृत अभिलेख ही आमजन को उपलब्ध कराने की शासन की मंशा है । आशा की जाती है कि आपके कुशल नेतृत्व में आपका जिला पीछा नहीं रहेगा ।

(5) मूल अभिलेख, नक्शा आदि की अभिरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व जिला कलेक्टरों का होगा । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं ऐसी व्यवस्था बनाई जाये जिससे शासकीय कार्य एवं आमजन के कार्य प्रभावित न हो ।

(डॉ.बी.एल.अग्रवाल)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक–एफ–6–146/सात–1/2014 रायपुर, दिनांक नवम्बर, 2014 17 NOV 20

प्रतिलिपिः

1. विशेष सहायक, माननीय राजस्व मंत्री जी, छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ ।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव, छ.ग.शासन की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, भू–अभिलेख, छ..ग रायपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त संभागायुक्त, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की कृपया अपने–अपने संभाग में उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्य की समीक्षा पाक्षिक आधार पर करें एवं सुचारू व्यवस्था बनाये रखने में अपना कुशल मार्गदर्शन प्रदान करें ।

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग